

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 3119/2005/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स विनय एसोसिएट्स,
नवजीवन कॉम्प्लैक्स,
स्टेशन रोड, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव कासलीवाल,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22/04/2014

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील संख्या 165/आरएसटी /1999-2000/जी/2004-2005 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा दिनांक 17.06.1999 को वाहन संख्या आर.जे 14/जी 7248 को अहमदाबाद उदयपुर मार्ग पर रतनपुर के पास रोक कर चैक किया गया। वाहन चालक माल प्रभारी से परिवहनित माल केस्ट्रोल ल्यूब्रिकेन्ट्स ऑयल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र एसटी 18ए प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा पत्र एसटी 18ए के महत्वपूर्ण कॉलम माल की कीमत, बीजक संख्या, चालान संख्या व दिनांक रिक्त पाये गये। इस प्रकार आयातकर्ता द्वारा करापवंचन की नियत से अपूर्ण दस्तावेज पेश कर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(2ए) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस धारा 78(5) में जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवसायी फर्म की ओर से श्री राजेश ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने परिवहनित माल ल्यूब्रिकेन्ट्स ऑयल कीमतन रूपये 6,73,690/- पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 2,02,107/- आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19.04.2005 के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.04.2005 के विरुद्ध विभाग द्वारा द्वितीय अपील राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पेश करने पर, कर बोर्ड ने अपने निर्णय दिनांक


लगातार.....2

28.12.2006 के द्वारा राजस्व की अपील खारिज कर दी गई। कर बोर्ड के उक्त निर्णय के विरुद्ध विभाग द्वारा एसबी सिविल (सैल्स टैक्स) रिविजन पीटीशन संख्या 196/2007 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष पेश की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त रिविजन का निष्पादन दिनांक 10.01.2011 के द्वारा करते हुए प्रकरण पुनः राजस्थान कर बोर्ड को निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इस प्रतिप्रेषण आदेश के संबंध में उक्त प्रकरण का निष्पादन किया जा रहा है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि मैसर्स विनय एसोसिएट्स जयपुर द्वारा 76 ड्रम ल्युब्रिकेन्ट्स ऑयल का मैसर्स कैंस्ट्रोल इण्डिया लि० सिलवासा से आयात किया जा रहा था। आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र दुबारा उपयोग किया जाना प्रतीत होता है, साथ ही करापवंचन की नियत से एसटी 18ए के कॉलम माल की कीमत, बीजक संख्या, चालान व दिनांक को रिक्त रखा गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी आयातकर्ता द्वारा करापवंचन की नियत से अपूर्ण दस्तावेज पेश करना करापवंचन की मनोदशा दर्शाता है। इस प्रकार आयातकर्ता द्वारा अपूर्ण दस्तावेज से माल का परिवहन करना करापवंचन की मंशा सिद्ध होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि राज्य में माल परिवहन के दौरान घोषणा प्रपत्र एस टी 18ए नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन हेतु अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण विधिसम्मत है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को बहाल रखा जायें।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि परिवहनित माल केस्ट्रोल लुब्रीकेन्ट ऑयल सिलवासा से जयपुर के लिए परिवहन किया जा रहा था। परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी एवं घोषणा प्रपत्र एसटी 18ए संलग्न किया हुआ था। घोषणा प्रपत्र एसटी 18ए अपूर्ण संलग्न किया हुआ था। लेकिन घोषणा प्रपत्र एसटी 18ए में भरी जाने वाली सभी सुचनाएं परिवहनित माल के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों में भरकर भेजने की जिम्मेदारी माल भेजने वाले व्यवसाई की होती है इसमें माल पाने वाले व्यवसाई की किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। यह एक लिपिकीय भूल है। परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र एसटी 18ए अपूर्ण संलग्न करने पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। यह प्रकरण दिनांक 17.06.1999 का है इसलिए दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है केवल माल प्रभारी व्यक्ति पर ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। इससे व्यवसाई की किसी भी प्रकार की करापवंचना की मनोदशा सिद्ध नहीं होती है। केवल संभावना के आधार पर शास्ति निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित की है, जो अविधिक एवं अनुचित है। अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में व्यवसाई के अधिकृत अभिभाषक ने विभिन्न न्यायालयों के निम्न उद्धरण (2003) 7 टैक्स अपडेट 312




सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, वार्ड-द्वितीय, एन्टीईवेजन, भरतपुर बनाम मैसर्स टाटा आयरन स्टील कम्पनी लि., सी-84, सी-स्कीम, जयपुर, (2004) 9 टैक्स अपडेट 125 (आरएचसी) डी.बी. मैसर्स पारस नाथ ग्रेनाईट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य, (2003) 2 आरटीआर 171 आरटीवी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स किलोस्कर कोपलेण्ड लि., जयपुर प्रस्तुत किये। अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय बेंच जयपुर के निर्णय रिवीजन संख्या 400/2008 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड-द्वितीय, वृत्त बी अलवर बनाम आरईवीआई कास्टिंग (प्रा0) लि0 भिवाडी व अन्य निर्णय दिनांक 01.08.2013 न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने, रेकार्ड का अवलोकन करने एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि फार्म एसटी-18ए में Material Particulars जैसे वजन माल की मात्रा किस्म आदि अंकित पायी गयी। परन्तु बिल नम्बर व दिनांक अंकित नहीं पायी गयी, जो कि Material Particulars भरे हुए है साथ ही यह वाद 1999 से पूर्व का है जिस पर माल मालिक पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है जैसा कि ऊपर वर्णित निर्णयों में निर्णय दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में पैरा 20 में यह यह प्रतिपादित किया गया है कि :-

“20. The facts enumerated above in civil appeal No. 5197 of 2005 is the lead case in which one by the consignee. The material particulars like quality, weight and description of the goods required to be filled in by the assessee (consignee) were left blank. Therefore, in this batch of civil appeals we are concerned with cases where the goods in movement were carried with blank form St 18A. In our view, on the face of it there was xontravention of Section 78 (2) of the RST Act, 1994.”

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR order S.B. Sales Tax Revision Petition No. 400/2008. Assistant Commercial Taxes Officer, ward-II, circle - B, Alwar V/s M/s. REBI Casting (pvt.) Ltd. Bhiwadi & Anr. Date of order 01.08.2013 में भी यह प्रतिपादित किया है कि Only because invoice number and date was left to be filled in, in my opinion, the form could not have been re-used. अतः जो शास्ति आरोपित की गयी है वह अनुचित ठहरती है। अतः आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है तथा विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।


22-4-14
(अमर सिंह)
सदस्य